प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–83
लेखाशीर्षक–4515007890600–24

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी
लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, झाँसी, औरैया, जालौन, बाराबंकी, मिर्जापुर, खीरी, कानपुर नगर, चित्रकूट, महोबा, इटावा, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, आज़मगढ़, फतेहपुर, हाथरस तथा सहारनपुर।

संख्याः 1/शा0/45/2018–1/165/2018 लखनऊः दिनांक 05 जुलाई, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनो के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 384.12 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–54/2018/1731/33–3–2018–100(13)/2015 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनो के निर्माण (जिला योजना) हेतु उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–400.00 लाख के सापेक्ष उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 29.06.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8 व 16 में इंगित कुल धनराशि रू0 384.12 (रूपया तीन करोड चौरासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018–19 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2018–19 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 29.06.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 16 में इंगित धनराशि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। **धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कराया जायेगा।**

4–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–83 लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।

6–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8–प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

9–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–13 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11– प्रश्नगत पंचातय भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

12– बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण के निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उनकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

13–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

14–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04.03.2019 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–135 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/45/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8– उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/07/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-45-2018-1-165-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-165-2018
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

(3)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी ,--01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
11	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
13	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
14	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
16	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
17	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
18	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	38412000 38412000	38412000 38412000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1|शा0|45|2018

संख्या- 54/2018/1731/33-3-2018-100(13)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या- 83 में आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 384.12 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/648/2018-5/43/2017, दिनांक 24 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 384.12 लाख (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2018-19 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए तथा मानचित्र सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित

http://shasnadesh.nic

किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने/ प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) बहुउददेशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा और नामित नोडल अधिकारी प्रतिमाह निर्माण की प्रगति से शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

(14) जनपद स्तर पर जिस ग्राम में बहुउददेशीय भवन का निर्माण किया जाना है उसका चिन्हीकरण होने के बाद चिन्हित ग्रामों की सूची शासन/ निदेशक को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.nic

शासनादेश संख्या- 54/2018/1731/33-3-2018-100(13)/2015 दिनांक 29 जून, 2018 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 मं बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत निर्मित है	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन निर्मित नहीं है।	कुल पंचायत भवन के सापेक्ष निर्मित कराये गये पंचायत भवनों का प्रतिशत	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण आवंटित ध
						लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंचायत भवन रू0-17.46 लाख की दर [partly hidden] प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
1	लखनऊ	570	482	88	84.56	1	17.460	17.46
2	कौशाम्बी	498	377	121	75.70	1	17.460	17.46
3	सीतापुर	1601	778	823	48.59	1	17.460	17.46
4	हरदोई	1308	780	528	59.63	1	17.460	17.46
5	उन्नाव	1044	662	382	63.41	1	17.460	17.46
6	रायबरेली	989	841	148	85.04	1	17.460	17.46
7	झांसी	496	343	153	69.15	1	17.460	17.46
8	औरैया	477	236	241	49.48	1	17.460	17.4
9	जालौन	575	550	25	95.65	1	17.460	17.4
10	बाराबंकी	1169	704	465	60.22	1	17.460	17.4

मिर्जापुर	809	695	114	85.91	1	17.460	17.460
खीरी	1167	618	549	52.96	1	17.460	17.460
कानपुर नगर	590	530	60	89.83	1	17.460	17.460
चित्रकूट	335	278	57	82.99	1	17.460	17.460
महोबा	273	236	37	86.45	1	17.460	17.460
इटावा	471	295	176	62.63	1	17.460	17.460
अम्बेडकरनगर	930	436	494	46.88	1	17.460	17.460
कानपुर देहात	640	424	216	66.25	1	17.460	17.460
आजमगढ़	1871	886	985	47.35	1	17.460	17.460
फतेहपुर	840	594	246	70.71	1	17.460	17.460
हाथरस	474	265	209	55.91	1	17.460	17.460
सहारनपुर	887	654	233	73.73	1	17.460	17.460
महायोग	18014	11664	6350	64.75	22	384.120	384.120

धनराशि रू0 384.12 लाख (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic